



Neutral Citation No. - 2026:AHC:161778

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 18573 वर्ष 2011

अजय सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : देव दयाल, ओम प्रकाश सिंह , राहुल अग्रवाल

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी

न्यायालय संख्या - 34

(एस.एन. 32)

माननीय न्यायमूर्ति अनिश कुमार गुप्ता,

1. याची की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राहुल अग्रवाल, जिनकी सहायता याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देव दयाल द्वारा की गई, तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका याची द्वारा इस प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है कि प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाए कि वे याची को अनुकम्पा के आधार पर सिविल पुलिस में उप-

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु शारीरिक परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करें, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर।

3. मामले के संक्षेप में उल्लिखित तथ्य यह हैं कि याची के पिता सिविल पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर स्थायी कर्मचारी थे, जिनकी सेवाकाल के दौरान दिनांक 06.11.2007 को मृत्यु हो गई। परिणामस्वरूप, यहाँ याची ने सिविल पुलिस में उप-निरीक्षक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन किया। तदनुसार, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु उसके आवेदन पर विचार किया गया। तथापि, याची शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, याची द्वारा वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ दाखिल की गई कि प्रत्यर्थीगण को उसे दूसरी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाए और उसके पश्चात याची को नियुक्ति प्रदान की जाए। दिनांक 06.09.2011 के अंतरिम आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण द्वारा आयोजित की जाने वाली दूसरी शारीरिक परीक्षा में याची को सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की थी, विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 885 वर्ष 2010 (रीता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में दिनांक 26.10.2010 को पारित अंतरिम आदेश पर भरोसा करते हुए। तथापि, यह प्रावधान किया गया था कि न्यायालय की अनुमति के बिना परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। तदनुसार, याची प्रत्यर्थीगण द्वारा आयोजित दूसरी शारीरिक परीक्षा में सम्मिलित हुआ, तथापि, आज तक परिणाम घोषित नहीं किया जा सका है।

4. इसी प्रकार का विवाद विशेष अपील संख्या 1602 वर्ष 2006 (पंकज कुमार विष्णोई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में भी उठाया गया था, जिसमें इस न्यायालय की खंडपीठ ने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रिट याचिका को स्वीकार करते हुए दूसरी शारीरिक परीक्षा आयोजित किए जाने तथा उक्त दूसरी शारीरिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के अधीन नियुक्ति प्रदान किए जाने का निर्देश दिया था। इसके विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या 2367 वर्ष 2011 दाखिल की गई, जिसका निर्णय स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम पंकज कुमार विष्णोई, 2013 (11) एस.सी.सी. 178 के मामले में किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ प्रदान करने हेतु एक और परीक्षा आयोजित किए जाने का निर्देश अनुमन्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणी प्रासंगिक है:

21. हमें इस बात में रती भर भी संदेह नहीं है कि पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जारी किया गया आदेश/पत्र-परिपत्र नियम 8(2) के अनुरूप है। यह नियम से परे नहीं जाता है, बल्कि यह नियम को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करता है और इसके लिए उचित औचित्य भी विद्यमान है।

22. यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रत्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुआ था और अर्हता प्राप्त नहीं कर सका। जब वह शारीरिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं कर सका, तब केवल इस आधार पर कि पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, उच्च न्यायालय विभाग को उसे एक और परीक्षा आयोजित करने का अवसर प्रदान करने का निर्देश नहीं दे सकता था, ताकि उसे उप-निरीक्षक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ प्रदान किया जा सके। शारीरिक परीक्षा में अनर्ह घोषित किए जाने के पश्चात प्रत्यर्थी किसी विशेष पद के संबंध में नियुक्ति का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सकता था और न ही उसकी मांग कर सकता था तथा संकट की स्थिति समाप्त हो जाने के पश्चात उच्च न्यायालय द्वारा उसे कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता था।

23. हमारी सुविचारित राय में, खंडपीठ द्वारा पारित आदेश पूर्णतः असंधारणीय है और एतद्वारा निरस्त किया जाता है। तथापि, हम यह स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं कि यदि प्रत्यर्थी उप-निरीक्षक के पद हेतु पात्र है, तो उसके लिए विहित पदोन्नति संबंधी नियमों के अनुसार पदोन्नति हेतु सामान्य प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए वह स्वतंत्र है।

5. अतः पंकज कुमार विष्णोई (उपर्युक्त) के मामले में यह विवाद पूर्णतः तय हो चुका है कि दूसरी शारीरिक परीक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती। तथापि, समिति की वैधता के संबंध में अन्य आधार भी याची द्वारा वर्ष 2022 में दाखिल किए गए पूरक शपथपत्र के माध्यम से उठाए गए हैं और यह तर्क दिया गया है कि उक्त समिति नियम के अनुरूप गठित नहीं की गई थी। अतः आयोजित की गई पहली शारीरिक परीक्षा एक वैध परीक्षा नहीं थी और इसलिए याची को एक नया अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था।

6. याची की ओर से बार में यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 06.09.2011 के अंतरिम आदेश के पश्चात तथा वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान, याची को कांस्टेबल के पद पर भी नियुक्त किया गया है। यद्यपि, यह स्पष्ट नहीं है कि उसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया गया था अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. किसी भी स्थिति में, याची को बाद में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किए जाने की घटना, परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पर उसके अधिकार को समाप्त कर देती है, जैसा कि याची द्वारा दावा किया जा रहा था, क्योंकि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को तत्काल राहत प्रदान करना है और जब याची को बाद में पहले ही कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया जा चुका है। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, इस स्तर पर याची द्वारा मांगा गया कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।

8. तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिश कुमार गुप्ता)

03 अगस्त, 2026

आशीष पीडी.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”